न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्राoपत्र संख्या–18/2021
प्राoपत्र प्रविष्टि दिनांक–09.07.2021
निर्णय दिनांक–24.09.2021

मदनलाल पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम फजलपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र लोहरवाडा तह0 पीपलू

अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत् नक्शा शीट दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांकः–24.09.2021

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 291/4 रकबा 1.5174 हैक्ट. वाके ग्राम फजलपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। हाल ही में राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर की नक्शा शीट में परिवर्तन कर दिया है। पूर्व नक्शा शीट और वर्तमान नक्शा शीट में अन्तर है । प्रार्थी का रकबा कुछ जगह घटा दिया है और कुछ जगह बढ़ा दिया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा किया गया हाल नक्शा शीट में अंकन त्रुटीपूर्ण होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी खसरा नम्बर को पूर्व में नक्शा शीट में जहां दर्शाया गया है। उसके अनुसार ही वर्तमान नक्शा शीट में संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 291/4 की जो नक्शा शीट कायम की थी उसमें परिवर्तन कर जो हाल नक्शा शीट बनायी गई। उसे संशोधित कर पूर्व नक्शा शीट में तरमीम अनुसार कायम करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार, पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया की उक्त उनवानी प्रकरण मदनलाल बनाम तहसीलदार, पीपलू प्रार्थना पत्र संख्या 18/2021 में उक्त खसरा नम्बर की डी.आई.एल.आर.एम.पी. प्लास्टिक नक्शा शीट में पूर्व नजरी नक्शे जो संलग्न कर भिजवाया गया है। उसमें तरमीम भिन्न हो गया हैं। हाल नक्शा शीट में अंकन त्रुटीपूर्ण होने से दुरूस्त किया जाना उचित है। उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम में किये जाने वाले संशोधन को नजरी नक्शा दर्शाया गया है जो संलग्न हैं। उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम जो डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट में मोजूद है। उसे दुरूस्त किये जाने हेतु रिपोर्ट रिपोर्ट पेश हैं।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 291/4 रकबा 1.5174 हैक्ट. वाके ग्राम फजलपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। हाल ही में राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर की नक्शा शीट में परिवर्तन कर दिया है जो पूर्व नक्शा शीट और वर्तमान नक्शा शीट में अन्तर है। प्रार्थी का रकबा कुछ जगह घटा दिया है और कुछ जगह बढ़ा दिया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा हाल नक्शा शीट में की गई तरमीम त्रुटीपूर्ण होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी खसरा नम्बर को पूर्व में नक्शा शीट में जहां दर्शाया गया है। उसके अनुसार ही वर्तमान नक्शा शीट में संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 291/4 की जो नक्शा शीट में तरमीम कर जो हाल नक्शा शीट बनायी गई। उसे संशोधित कर पूर्व नक्शा शीट अनुसार कायम की जावें।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया की उक्त उनवानी प्रकरण मदनलाल बनाम तहसीलदार, पीपलू प्रार्थना पत्र संख्या 18/2021 में उक्त खसरा नम्बर की डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत् नक्शों के डिजीटाईजेशन प्रक्रिया के दौरान वेंडर से प्राप्त प्लास्टिक नक्शा शीट के नक्शे में तरमीम पूर्व रिकॉर्ड से भिन्न हो गया हैं। हाल नक्शा शीट में अंकन त्रुटीपूर्ण होने से दुरूस्त किया जाना उचित है। उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम में किये जाने वाले संशोधन को नजरी नक्शे से दर्शाया गया है जो तहसीलदार, पीपलू के जवाब में संलग्न हैं। उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम जो डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट में मोजूद है, को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत पूर्व नक्शा शीट एवं हाल नक्शा शीट एवं अप्रार्थी तहसीलदार, पीपलू के जवाब के अवलोकन एवं बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 291/4 रकबा 1.5174 हैक्ट. वाके ग्राम फजलपुरा की हाल ही में डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट में जो तरमीम की गई है। वह त्रुटीपूर्ण है। उक्त त्रुटीपूर्ण राजस्व कर्मचारियों द्वारा संहवन से होना स्पष्ट हैं। तहसीलदार, पीपलू ने भी अपनी बहस में उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम को स्वीकार किया है एवं पूर्व नक्शा शीट अनुसार दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 291/4 रकबा 1.5174 हैक्ट. वाके ग्राम फजलपुरा की हाल में डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट में की गई त्रुटीपूर्ण तरमीम को दुरूस्त करते हुए पूर्व रिकॉर्ड अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, पीपलू ख0न0 291/4 रकबा 1.5174 हैक्ट. वाके ग्राम फजलपुरा की नक्शा शीट डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट से पूर्व शीट अनुसार तरमीम करे। निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला-टोंक

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner